

## युको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालयः 10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता-700 001

Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

फोन (033) 44557227, ई-मेल: hosgr.calcutta@ucobank.co.in, वेबसाइट: www.ucobank.com Phone (033) 44557227, E-mail: hosgr.calcutta@ucobank.co.in, Website: www.ucobank.com

## पोस्टल बैलट फॉर्म POSTAL BALLOT FORM

क्रमांकः

एकल/प्रथम शेयरधारक का नाम एवं पता
 Name & Address of Sole/First Shareholder

- 2. संयुक्त शेयरधारक(कों), यदि कोई हों, का/के नाम Name(s) of Joint Shareholder(s), if any
- 3. पंजीकृत फोलियो सं./ डीपी आईडी-ग्राहक आईडी सं. Registered Folio No./DP ID - Client ID No.
- 4. धारित शेयरों की संख्या / Number of Shares held

मैं/हम, एतदद्वारा बैंक के 12 फरवरी 2018 की पोस्टल बैलट सूचना में उल्लिखित कारोबार हेतु डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किए जानेवाले विशेष संकल्प के संबंध में नीचे दिये गए उपयुक्त खाने में सही (🗸) चिन्ह लगाकर उक्त संकल्प से मेरी/हमारी सहमति या असहमति व्यक्त करते हुए, अपने/हमारे मताधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ/रहे 😤

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolution to be passed through Postal Ballot for the business stated in the Postal Ballot Notice dated 12th February, 2018 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution by placing the tick (🗸) mark at the appropriate box below.

मद सं . Item No.	विवरण Description	शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held by Shareholder	सहमत हूँ/हैं (पक्ष में) I/We assent to the	मैं/हम इस संकल्प से असहमत हूँ/हैं (विरोध में) I/We dissent to the Resolution (Against)
1.	(क) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियमन 76 (1) के अनुसरण में नकदी हेतु प्रीमियम सहित निर्गम मूल्य के निर्धारण के अधीन ₹10/- (रूपये दस मात्र) के अंकित मूल्य पर कुल ₹ 1,375 करोड़ मात्र के इिवर्टी शेयर एवं (ख) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹10/- प्रत्येक (रूपये दस मात्र) के अंकित मूल्य पर कुल ₹ 5,132 करोड़, समग्र रूप से कुल ₹ 6,507 करोड़ (रूपया छह हजार पांच सो सात करोड़) मात्र के ऐसे शेयरधारक के इिवर्टी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव एवं आबंटन।  То create, offer and allot (a) such number of equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten only) to Govt. of India on preferential basis aggregating to ₹ 1,375 crore; and (b) such Shareholder of equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten only] to Government of India on preferential basis aggregating to ₹ 5,132 crore together aggregating to ₹ 6507 crore only (Rupees Six thousand Five hundred and Seven crore only), inclusive of premium for cash at an issue price to be determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations 2009.			

स्थान/Place : दिनांक/Date :

(शेयरधारक के हस्ताक्षर/Signature of Shareholder)

## इलेक्ट्रॉनिक मतदान विवरण / ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

(इलेकट्रॉनिक माध्यम से मतदान हेतु कृपया संलग्न पोस्टल बैलट सूचना में दिए गए ई-वोटिंग अनुदेश देखें। ई-वोटिंग सुविधा https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है।) (For voting through electronic means, please refer to the e-voting instructions provided in the postal ballot notice sent herewith. The E-voting facility is available at the link https://evoting.karvy.com)

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नंबर)/EVEN (E-voting Event Number)	प्रयोक्ता आईडी/USER ID	पासवर्ड / पिन/PASSWORD/PIN

निम्नलिखित मतदान अविध के दौरान ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध होगीः/The e-voting facility will be available during the following voting period :

ई-वोटिंग की शुरूआत/Commencement of e-voting	ई-वोटिंग की समाप्ति/End of e-voting
20 फरवरी, 2018 को प्रातः 9 बजे / February 20, 2018 at 9.00 a.m.	21 मार्च, 2018 को संध्या 5 बजे / March 21, 2018 at 5.00 p.m.

## प्रत्यक्ष बैलट फार्म के माध्यम से मतदान हेतु अनुदेश / INSTRUCTIONS FOR VOTING BY PHYSICAL BALLOT FORM :

1. डाक मतपत्र के जिए अपने मतिधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक शेयरधारक इस पोस्टल बैलट फॉर्म को भरें और हस्तिक्षर करें तथा स्व-पता लिखे डाक व्यय पूर्वदत्त संलग्न लिफाफे में रखकर संवीक्षक को भेज दें, डाक खर्च बैंक उठाएगा और उसका भुगतान करेगा। यदि ऐसे मतपत्र वाले लिफाफे व्यक्तिगत रूप में जमा किए जाते हैं अथवा शेयरधारक के खर्च पर कृरियर से भेजे जाते हैं तो वे भी स्वीकार किए जाएंगे।

A Shareholder desiring to exercise his/her vote by Postal Ballot should complete this Postal Ballot Form, sign and send it to the Scrutinizer in the attached self-addressed postage pre paid envelope. Postage will be borne and paid by the Bank. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expenses of the Shareholder, will also be accepted.

- 2. विकल्प के रूप में कोई शेयरधारक पोस्टल बैलट सूचना में ई-वोटिंग के लिए जारी निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
  - Alternatively, a Shareholder may vote through electronic mode as per the instructions for e-voting provided in the Postal Ballot Notice.
- 3. पता लिखे लिफाफे पर बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त किए गए संवीक्षक का पता और पोस्टल बैलट भेजने का पता अंकित है।
  - The self-addressed envelope bears the Scrutinizer address at which the Postal Ballot Form is to be sent.
- 4. पोस्टल बैलट फॉर्म शेयरधारक द्वारा पूर्ण रूप से भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए। संयुक्त शेयरधारिता के मामले में, यह फॉर्म प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा (बैंक के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप) हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए और यदि वे अनुपस्थित हों तो अगले नामित शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

The Postal Ballot form should be completed and signed by the Shareholder. In the case of joint share holding, this form should be completed and signed (as per the specimen signature registered with the Bank) by the first named Shareholder and in his/her absence, by the next named Shareholder.

5. जहां पोस्टल बैलट फॉर्म किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षिरित है वहाँ पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ मतदान करने के लिए संबंधित प्राधिकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए। "शेयरधारक" इस उद्देश्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त अटर्नी द्वारा भी फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकते है। ऐसे मामले में पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ मुख्तारनामे की अनुप्रमाणित सत्य प्रति संलग्न होनी चाहिए।

Where the Postal Ballot Form has been signed by an Authorized Representative of a body corporate, a certified copy of the relevant authorizations to vote on the Postal Ballot should accompany the Postal Ballot form. A "Shareholder may sign" the Form through on Attorney appointed specifically for this purpose, in which case an attested true copy of the Power of Attorney should be attached to the Postal Ballot Form.

- 6. पोस्टल बैलट द्वारा मतदान के अधिकार का उपयोग प्रॉक्सि द्वारा नहीं किया जा सकेगा।
  - The right of voting by Postal Ballot shall not be exercised by a Proxy.
- 7. विधिवत भरे हुए पोस्टल बैलट फॉर्म 21 मार्च 2018 की शाम 5.00 बजे तक संवीक्षक के पास पहुँच जाने चाहिए। इस समय और तारीख के बाद पोस्टल बैलट फॉर्म के बारे में यह माना जाएगा कि शेयरधरकों से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

Duly completed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 5 p.m. on March 21, 2018. If any Postal Ballot Form received after this time and date, it will be considered that no reply from such Shareholder has been received.

8. यदि आवश्यक हो तो शेयरधारक ड्यूप्लिकेट पोस्टल बैलट फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकते हैं। तथापि, पूर्ण रूप से भरा हुआ ड्यूप्लिकेट पोस्टल बैलट फॉर्म ऊपर मद सं. 7 में निर्दिष्ट समय और तारीख तक संवीक्षक के पास पहुँच जाना चाहिए।

A Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the time and date specified at item no.7 above.

9. मताधिकार कि गणना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अधीन शुक्रवार 16, फरवरी 2018 को शेयरधारक के नाम से पंजीकृत शेयरों के प्रदत मृत्य के आधार पर की जाएगी जो कि इस प्रयोजन हेतु अंतिम तारीख के रूप में तय की गई है।

Voting rights will be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Shareholder on 16th February, 2018, which is the cut-off date fixed for this purpose, subject to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

10. शेयरधरकों से अनुरोध है कि स्व-पता लिखे डाक व्यय पूर्वदत्त संलग्न लिफाफे में डाक मतपत्र फॉर्म के साथ अन्य कोई कागजात न भेजें, क्योंकि इस तरह के सभी लिफाफे संवीक्षक के पास भेज दिये जाएंगे और ऐसे लिफाफे में रखा गया कोई अन्य कागजात संवीक्षक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा और बैंक इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकेगा।

Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope in as much as all such envelopes will be sent to the Scrutinizer and any extra paper found in such envelope would be destroyed by the Scrutinizer and the Bank would not be able to act on the same.

- 11. प्रत्येक फोलियो के लिए केवल एक ही पोस्टल बैलट फॉर्म होगा चाहे संयुक्त शेयरधरकों की संख्या कितनी भी हो।
  - There will be only one Postal Ballot Form for every folio irrespective of the number of joint Shareholder(s).
- 12. शेयरधारक को सभी वोटों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे सभी वोट एक ही तरीके से देने की आवश्यकता है।
  - A Shareholder need not use all his/her votes nor does he/she need to cast his/hei votes in the same way.
- 13. पोस्टल बैलट की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
  - The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot will be final and binding.
- 14. अपूर्ण, अहस्ताक्षरित या अशुद्ध डाक मतपत्र फॉर्म अस्वीकार कर दिये जाएंगे।
  - Incomplete, unsigned or incorrect Postal Ballot Forms will be rejected.
- 15. यदि संकल्प बहुमत से अनुमोदित हुआ, तो इसे 21 मार्च 2018 को पारित हुआ समझा जाएगा, जो कि पूर्णतः भरे हुए पोस्टल बैलट प्राप्त करने या ई-वोटिंग कि अंतिम तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट कि गई है।
  - The Resolution, if approved by requisite majority, shall be deemed to have been passed on March 21, 2018, i.e., the last date specified for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting.
- 16. पोस्टल बैलट के परिणाम कि घोषणा 22 मार्च 2018 को या उससे पहले एमडी एवं सीईओ द्वारा की जाएगी तथा इसे बैंक की वेबसाइट <u>www.ucobank.com</u> पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही इसे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करने के अलावा रिजस्ट्रार एवं शेयर एजेंट कार्वी की वेबसाइट <u>https://evoting.karvy.com</u> पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

The result of Postal Ballot shall be declared by the MD & CEO on or before March 22, 2018 and displayed on the Bank's website www.ucobank.com and website of Registrar and Share Transfer Agent https://evoting.karvy.com besides being communicated to the Stock Exchanges.